भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2163

(20 दिसंबर, 2022 को स्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निगरानी तंत्र

2163. श्री संजय काका पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी है तथा कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के लक्षित उद्देश्य पर लाभार्थी द्वारा नकद राशि खर्च करने अथवा लाभार्थी द्वारा इसे कहीं और खर्च करने का मूल्यांकन करने के लिए विद्यमान निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि यह राशि अन्यत्र खर्च की जाती है तो उसके लिए क्या विनियामक तंत्र विद्यमान है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान (बीई) चरण में बजट प्रावधान 60,000 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमान (आरई) चरण में इसे बढ़ाकर 71,001.81 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुल 7.88 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 98,467.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी और 10.61 करोड़ व्यक्तियों ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार प्राप्त किया है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी के नकद व्यय का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है।